"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 817] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019 — अग्रहायण 8, शक 1941

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 (अग्रहायण 8, 1941)

क्रमांक-12755/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) जो शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 25 सन् 2019)

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

विषय–सूची

खण्ड :

अध्याय–एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय–दो
विश्वविद्यालय

3. निगमन.
4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
5. विश्वविद्यालय की शक्तियां.
6. प्रादेशिक अधिकारिता.
7. विश्वविद्यालय को उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन आदि के लिये व्यवस्था करने की अनन्य अधिकारिता होगी.
8. विश्वविद्यालय धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विचारधारा पर ध्यान दिए बिना, सभी के लिये खुला रहेगा.
9. विश्वविद्यालय में अध्यापन.
10. विश्वविद्यालय का निरीक्षण या जांच.

अध्याय–तीन
विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
12. कुलाधिपति.
13. कुलाधिपति की शक्तियां.
14. कुलपति.
15. कुलपति की उपलब्धियॉ तथा सेवा की शर्तें.

16. कुलपति की शक्तियॉं और कर्तव्य.

17. कुलपति का हटाया जाना.

18. कुल सचिव.

19. लेखा नियंत्रक.

20. संकायाध्यक्ष (डीन) और निदेशक.

21. अन्य अधिकारी.

22. समन्वय परिषद्.

23. परिषद् का सम्मिलन और उसमें गणपूर्ति.

24. परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.

अध्याय–चार
विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

25. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.

26. बोर्ड का गठन.

27. बोर्ड का सम्मिलन.

28. बोर्ड की शक्तियां और उसके कर्तव्य.

29. विद्या परिषद्

30. विद्या परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.

31. संकाय.

32. अध्ययन विभाग.

33. वित्त समिति.

34. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण.

35. उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्र तथा कृषक ग्रामीण जीवन तथा विस्तार सेवायें.

अध्याय–पांच
विश्वविद्यालय निधि आदि

36. विश्वविद्यालय निधि.

37. उद्देश्य, जिनके लिये विश्वविद्यालय, निधि उपयोजित कर सकेगा.

अध्याय–छः
परिनियम तथा विनियम

38. परिनियम.

39. परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे.

40. विनियम.

अध्याय–सात
वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे आदि

41. वार्षिक रिपोर्ट.

42. लेखे तथा संपरीक्षा.

अध्याय–आठ
अनुपूरक उपबंध

43. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद.

44. समितियों का गठन.

45. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

46. रिक्ति आदि के कारण कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी.

47. सेवा की शर्तें.

48. पेंशन तथा भविष्य निधि.

49. कार्य तथा आदेशों का संरक्षण.

50. प्रथम कुलपति की असाधारण शक्तियां.

51. बोर्ड द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति.

52. अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतनमान.

53. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के सदस्य की पदावधि.

54. विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र.

55. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या बोर्ड की सदस्यता से हटाया जाना.

56. कठिनाईयों का निराकरण.

57. संपत्ति तथा कर्मचारियों का अन्तरण.

58. व्यावृत्ति.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 25 सन् 2019)

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में शिक्षा और उनमें अनुसंधान को अग्रसर करने, विस्तार कार्य करने तथा उनसे आनुषंगिक अन्य विषयों के लिये उपबंध करने हेतु तहसील पाटन, जिला दुर्ग में उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञान का महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

अध्याय–एक
प्रारंभिक

1. (1) यह अधिनियम महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगा।

2 इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं.

(एक) **"उद्यानिकी"** से अभिप्रेत है फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, औषधीय और सुगंधित पौधों, मशरूम, भूनिर्माण, कृषि वानिकी एवं मधुमक्खी पालन, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं प्रबंधन और ग्रामीण जनता की उन्नति का बुनियादी तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान;

(दो) **"महाविद्यालय"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का ऐसा महाविद्यालय, जो बोर्ड तथा विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक अधिकारी के सीधे नियंत्रण तथा प्रबंधन के

अधीन हो, चाहे वह मुख्यालय, परिसर (केम्पस) में या अन्यत्र स्थित हो;

(तीन) **"विस्तार कार्य"** से अभिप्रेत है उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान की समस्याओं को अभिनिश्चित करने, अनुसंधान के परिणामों का विस्तार कार्मिकों तथा कृषकों तक प्रसार करने और ऐसे प्रसार के उद्देश्य से प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिये समस्त शैक्षणिक कार्यक्रम;

(चार) **"छात्रावास"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आवासीय इकाई, जिसकी व्यवस्था, अनुरक्षण उसके द्वारा (विश्वविद्यालय द्वारा) की जाती हो अथवा जिसे उसके द्वारा (विश्वविद्यालय द्वारा) मान्यता दी गई हो;

(पांच) **"पंजीकृत स्नातक"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन पंजीकृत स्नातक;

(छः) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियां;

(सात) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियां;

(आठ) **"परिनियम तथा विनियम"** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के तत्समय कमशः प्रवृत्त परिनियम तथा विनियम;

(नौ) **"विश्वविद्यालय का विद्यार्थी"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो सम्यक् रूप से संस्थित उपाधि, पत्रोपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम करने हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित हो;

(दस) **"विश्वविद्यालय का अध्यापक"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो शिक्षा प्रदान करने और/या अनुसंधान और/या विस्तार कार्यक्रमों का संचालन करने तथा पथ प्रदर्शन करने के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्य किया गया हो और इसमें सम्मिलित है ऐसा व्यक्ति, जिन्हें परिनियमों द्वारा अध्यापक के रूप में घोषित किये जायें;

(ग्यारह) **"विश्वविद्यालय"** से अभिप्रेत है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।

अध्याय–दो
विश्वविद्यालय

निगमन.

3. (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा प्रथम कुलपति और विश्वविद्यालय के बोर्ड तथा विद्या परिषद् के प्रथम सदस्यों और समस्त व्यक्तियों, जो इसमें इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बनेंगे, जब तक कि वे ऐसा पद धारण किये रहें या ऐसे सदस्य बने रहें, को समाविष्ट कर, एतद्द्वारा, विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद लायेगा तथा उक्त नाम से उसके विरूद्ध वाद लाया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, तहसील पाटन, जिला दुर्ग में स्थित होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

4. विश्वविद्यालय के अन्य प्रयोजनों के साथ ही निम्नलिखित प्रयोजन होंगे:–

(क) उद्यानिकी तथा अन्य संबद्ध विज्ञानों में शिक्षा की व्यवस्था करना;

(ख) विशेषतः उद्यानिकी तथा अन्य संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान कार्य को अग्रसर करना;

(ग) क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमों के दायित्व का निर्वहन करना; और

(घ) ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त से संबंधित ऐसे अन्य प्रयोजन, जैसा कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा, निर्देशित करे।

विश्वविद्यालय की शक्तियां.

5. विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात –

(1) जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करना तथा धारण करना, किसी ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जो उसमें निहित हो, या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये उसके द्वारा अर्जित की गई हो, शासकीय भूमि को तथा उसकी संस्थाओं को छोड़कर, पट्टे पर देना, विक्रय करना या अन्यथा अन्तरित करना;

(2) निम्नलिखित के अध्ययन को संवर्धित करना तथा उसमें अभिवृत्ति करना तथा उनमें शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था करना:–

(क) उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, ग्रामीण उद्योग तथा कारोबार और अन्य संबद्ध विज्ञान; और

(ख) विद्या की ऐसी अन्य शाखाएं, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे;

(3) उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान कार्य के लिये तथा उनके ज्ञान के अभिवर्धन तथा प्रसार के लिये व्यवस्था करना और उद्यानिकी विस्तार सेवाओं को, जिनके अन्तर्गत ग्रामीण युवा कार्यक्रम आता है, संस्थित करना तथा उनका प्रबन्ध करना;

(4) उपाधियां, पत्रोपाधियां तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित करना;

(5) महाविद्यालयों, अध्ययन शालाओं तथा छात्रावासों को परिनियमों में विहित की गई रीति में अनुरक्षित करना;

(6) अध्यापन पद, अनुसंधान पद तथा विस्तार पद, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हो, संस्थित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्त करना;

(7) अध्यापकों के लिए अर्हतायें अवधारित करना तथा उन्हें इस रूप में मान्यता देना कि वे उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में किसी महाविद्यालय में शिक्षण देने या उनमें अनुसंधान तथा विस्तार कार्य करने के लिए अर्हित है;

(8) क्षेत्र कार्यकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों के लिए, जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रूप में नामांकित न हों, ऐसे व्याख्यान तथा शिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें ऐसे पत्रोपाधि प्रदान करना, जैसा कि वह अवधारित करे;

(9) ऐसी प्रयोगशालाओं, ऐसे पुस्तकालयों, उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्रो, संग्रहालयों, उद्यानिकी फार्मो तथा ऐसे अन्य उपस्करों की स्थापना करना, जैसा कि उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में संगठित करने हेतु विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(10) परीक्षायें संचालित करना तथा ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने विश्वविद्यालय के अधीन अध्ययन पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, को पत्रोपाधि प्रदान करना और उपाधियों तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(11) उन व्यक्तियों, जिन्होंने परिनियमों में विहित की गई शर्तों के अधीन स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य किया हो, उपाधियों और/या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(12) अनुमोदित व्यक्तियों को सम्मानित उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें परिनियमों में विहित की गई रीति में तथा शर्तों के अधीन प्रदान करना;

(13) परिनियमों में विहित की गई शर्तों के अनुसार न्यासों तथा विन्यासों (एण्डाउमेन्ट्स) को धारण करना और उनका प्रबंध करना तथा श्रव्यतावृतियां (फेलोशिप्स) (जिनके अंतर्गत यात्रा श्रध्येतावृत्यिां आती है), छात्रवृत्तियां, छात्र–सहायता वृत्तियां (एग्जीविशन्स), वजीफे (वर्सरीज), पदक एवं अन्य पुरस्कार संस्थित तथा प्रदान करना;

(14) महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की अन्य शाखाओं के निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि शिक्षण, अध्यापन या प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार कार्य का उचित स्तर बनाये रखा गया है;

(15) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें, नियत करना, उनकी मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना;

(16) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य, विकास एवं सामान्य कल्याण के संवर्धन की व्यवस्था करना;

(17) प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से नियुक्तियां करना;

(18) निम्नलिखित संस्थित करना तथा उनका प्रबंधन करना:–

(क) सूचना ब्यूरो;

(ख) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग;

(ग) नियोजन ब्यूरो;

(घ) कोई अन्य संस्था, जो राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत की जाये;

(19) निम्नलिखित की व्यवस्था करना:–

(क) बर्हिवर्ती (एक्ट्राम्यूरल) अध्यापन तथा अनुसंधान;

(ख) शारीरिक तथा सैन्य प्रशिक्षण;

(ग) खेलो तथा व्ययाम संबंधी क्रियाकलापों;

(घ) किसी अन्य क्रियाकलाप, जैसा कि राज्य शासन द्वारा विनिश्चित किया जाये।

(20) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों के साथ ऐसी रीति में, ऐसी सीमा तक तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये, जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, समन्वय करना;

(21) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना, जो चाहे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हो या न हो और जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित हों।

प्रादेशिक अधिकारिता.

6. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ के राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों पर होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी महाविद्यालय या शिक्षण संस्था को, जो पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर स्थित हो और जो उद्यानिकी तथा अन्य संबंद्ध विज्ञानो में स्नातक उपाधि के लिये और/या उससे ऊपर का शिक्षण प्रदान करती हो, भारत में विधि द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार

से सहयुक्त नहीं किया जायेगा और न उसको कोई विशेषाधिकार दिया जायेगा और कोई भी ऐसा विशेषाधिकार, जो किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा उन सीमाओं के भीतर स्थित किसी शिक्षण संस्था को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व दिया गया हो, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर प्रत्याहृत हो गया समझा जायेगा और ऐसी संस्थायें उस तारीख तक, जिसको कि वे धारा 57 के अधीन विश्वविद्यालय को अन्तरित की जायें, विश्वविद्यालय से संबद्ध रहेंगी।

(3) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानो के क्षेत्र में लिये गये या संचालित किये गये अनुसंधान या विस्तार कार्य का विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों के साथ समन्वय तथा उनमें एकीकरण–

(क) ऐसी तारीख या तारीखो से किया जायेगा, जिन्हें राज्य शासन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे तथा समन्वय एवं एकीकरण के लिये भिन्न–भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी, और

(ख) ऐसी रीति में तथा उस सीमा तक किया जायेगा, जैसा कि राज्य शासन द्वारा बोर्ड के परामर्श से अवधारित किया जाये।

विश्वविद्यालय को उद्यानिकी तथा सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन आदि

7. (1) विश्वविद्यालय को उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करने के लिये धारा 6 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण क्षेत्रों पर अनन्य आधिकारिता होगी और राज्य में किसी अन्य विश्वविद्यालय के निगमन से संबंधित विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी अन्य विश्वविद्यालय ऐसे क्षेत्रों में

उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिये सक्षम नहीं होगा। यद्यपि, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को उद्यानिकी, वानिकी पाठ्यक्रम एवं उपाधि कार्यक्रम, उद्यानिकी एवं संबद्ध विज्ञानों में बुनियादी अनुसंधान एवं विस्तार कार्यक्रम के लिये शिक्षण की व्यवस्था करने की शक्तियां होंगी।

के लिये व्यवस्था करने की अनन्य अधिकारिता होगी.

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पं. किशोरी लाल शुक्ला उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, राजनांदगांव, उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जगदलपुर एवं संबद्ध निजी उद्यानिकी महाविद्यालय का कोई भी ऐसा विद्यार्थी, जो 2019 के ..... दिन के ठीक पूर्व इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानो की किसी परीक्षा के लिये अध्ययन कर रहा था या उसमें उपस्थित होने के लिये पात्र था, जैसी भी स्थिति हो, उस परीक्षा की तैयारी के लिये अपने पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा और विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिये पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिये और ऐसी रीति में, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण तथा परीक्षा की व्यवस्था करेगा।

विश्वविद्यालय धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विचारधारा पर

8. विश्वविद्यालय के लिये यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति परः–

(क) विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करने; या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने; या

ध्यान दिये बिना, सभी के लिये खुला रहेगा.

(ग) अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या सम्मिलित किये जाने; या

(घ) किसी उपाधि, पत्रोपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं या पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने; या

(ड.) विश्वविद्यालय के किन्हीं भी विशेषाधिकारों या उसकी उपकृति का उपभोग या प्रयोग किये जाने,

का हकदार बनाने के लिये धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य विचारधारा संबंधी कोई भी परीक्षण या शर्त अधिरोपित करे:

परंतु यह कि विश्वविद्यालय, राज्य शासन की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए, शिक्षा, शिक्षण या निवास हेतु किसी महाविद्यालय या संस्था को अनन्यरूपेण स्त्रियों के लिये चला सकेगा या विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे या नियंत्रित किये जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था में विद्यार्थियों के रूप में प्रवेश देने के प्रयोजनों हेतु स्त्रियों के लिये या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या ऐसे अन्य वर्गों या समुदायों, जो शिक्षा की दृष्टि से पिछडे हुए हों, के सदस्यों के लिये स्थान आरक्षित कर सकेगा:

परंतु यह और कि इस धारा में दी गई किसी भी बात के संबंध में यह नही समझा जायेगा कि वह विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा करती है कि वह परिनियमों में विहित की गई से भिन्न अधिक संख्या में या शैक्षणिक या अन्य अर्हताओं से कम अर्हता वाले विद्यार्थियों को, किसी अध्ययन पाठ्क्रम में प्रवेश दे:

परंतु यह और भी कि इस धारा में दी गई किसी बात के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या किन्ही अन्य वर्गो या समुदायों, जो कि सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हों, के निर्धन व्यक्तियों को अध्ययन पाठ्कमों में उपस्थित होने से या ऐसे पाठ्यकमों में उपस्थित होने के लिये उद्गृहीत की जाने वाली

फीस में पूर्णतः या अंशत छूट देने से विश्वविद्यालय को निवारित करती है।

स्पष्टीकरण– कोई भी व्यक्ति, इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिये, "निर्धन व्यक्ति" समझा जायेगा, यदि ऐसे व्यक्ति या उसके संरक्षक (जहां ऐसा व्यक्ति अपनी जीविका तथा शिक्षा के लिये ऐसे संरक्षक पर आश्रित हो) की वार्षिक आय ऐसी रकम से, जो राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, कम हो।

विश्वविद्यालय में अध्यापन.

9. (1) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के संबंध में मान्यता प्राप्त समस्त अध्यापन कार्य, विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा ऐसी योजना, जैसा कि विद्या परिषद् द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये विरचित किया जाये, के अनुसार संचालित किया जायेगा तथा इसमें व्याख्यान देना, अवबोधकीय कक्षाएँ (ट्यूटोरियल क्लासेज) लगाना, प्रयोगशाला कार्य, क्षेत्र कार्य (फील्ड वर्क) या अन्य अध्यापन कार्य जो विनियमों द्वारा विहित अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किया जाये, सम्मिलित है।

(2) ऐसे अध्यापन का आयोजन करने के लिये उत्तरदायी प्राधिकारियों की तथा उन विद्यार्थियों की, जिन्हें किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा, अधिकतम संख्या, परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी।

(3) पाठ्यक्रम तथा पाठयचर्या विनियमों द्वारा विहित की जायेगी।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण या जांच.

10. (1) कुलाधिपति को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे या जिन्हें वह निर्देश दें, सामान्यतः विश्वविद्यालय का तथा विशिष्टतः ऐसे अन्य विषयों का, जैसे उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्रों तथा फार्मों, कर्मशालाओं तथा

उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या छात्रावास का, विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित अध्यापन तथा अन्य कार्य का और विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन का, निरीक्षण करवाए और विश्वविद्यालय से संसक्त किसी भी मामले की जांच करवाये :

परंतु कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण करवाने या जांच करवाने के अपने आशय की सूचना, विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय उसमें प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा।

(2) ऐसा या ऐसे व्यक्ति, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम की रिपोर्ट कुलाधिपति को देंगे और कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच परिणामों के संबंध में अपने विचार बोर्ड को संसूचित करेगा तथा बोर्ड, तदुपरि, ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा, जैसा कि कुलाधिपति द्वारा निर्देशित की जाए।

(3) जहां बोर्ड, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति के समाधान योग्य कार्यवाही नहीं करता है, वहां कुलाधिपति बोर्ड द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किये गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे और बोर्ड उनका अनुपालन करेगा।

(4) निरीक्षण की रिपोर्ट तथा ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप कुलाधिपति द्वारा जारी किये गये निर्देश विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

अध्याय–तीन
विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

11. विश्वविद्याय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) कुल सचिव;

(4) लेखा नियंत्रक;

(5) संकायाध्यक्ष (डीन);

(6) निदेशक; और

(7) विश्वविद्यालय की सेवा के ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति.

12. छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

कुलाधिपति की शक्तियां.

13. (1) कुलाधिपति,–

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज–पत्र या जानकारी मांग सकेगा; और

(ख) अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, धारा 43 के अधीन आने वाले मामले के सिवाय कोई भी मामला, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसने ऐसे मामले का पूर्व में विचार किया हो, पुनर्विचार के लिये निर्देशित कर सकेगा।

(2) कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी की किसी भी ऐसी कार्यवाही की, जो इस अधिनियम, परिनियम या विनियम के अनुरूप न हो, बातिल कर सकेगा :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश करने के पूर्व, वह संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी को यह हेतुक दर्शित करने के लिये अपेक्षित करेगा कि ऐसे आदेश क्यों न किया जाये

और यदि उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर कोई हेतुक दर्शित किया जाता है, तो वह उस पर विचार करेगा।

(3) कोई सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना, कुलाधिपति के पुष्टीकरण के अध्यधीन होगी।

(4) कुलाधिपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त की जाये।

कुलपति. 14. (1) कुलपति की नियुक्ति, उप–धारा (2) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किये गये कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जायेगीः

परन्तु यह कि प्रथम कुलपति, कुलाधिपति द्वारा सीधे ही नियुक्त किया जायेगाः

परन्तु यह और कि यदि कुलाधिपति, इस प्रकार सिफारिश किये गये व्यक्तियों मे से किसी को भी अनुमोदित नहीं करता है या ऐसी समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण, नियुक्ति स्वीकार करने के लिये इच्छुक न हों, तो कुलाधिपति, ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा।

(2) कुलाधिपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को मिलाकर समिति गठित करेगा, अर्थात्:–

(एक) उन व्यक्तियों में से, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से नियोजित न किये गये हों, बोर्ड द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति,

(दो) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति, और

(तीन) राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति।

कुलाधिपति, इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(3) कुलाधिपति, उप–धारा (2) के अधीन समिति का गठन, कुलपति की पदावधि का अवसान होने के पूर्व, करेगा।

(4) समिति, अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाये, तालिका (पैनल) प्रस्तुत करेगी।

(5) यदि समिति, उप–धारा (4) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका (पैनल) प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उचित समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(6) कुलपति, पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्त का पात्र होगा, किन्तु 65 वर्ष की आयु के परे नहीं :

परन्तु यह कि प्रथम कुलपति, पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि तक, जैसा कि कुलाधिपति अवधारित करें, पद धारण करेगा :

परन्तु यह और भी कि उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, प्रथम कुलपति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, किन्तु यह कालावधि छः माह से अधिक नहीं होगी।

(7) कुलपति की मृत्यु, उसके पदत्याग के कारण या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया वरिष्ठतम निदेशक, संकाय का संकायाध्यक्ष या शासन का कोई अधिकारी, कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा, जिसको कि कोई नया कुलपति, जो ऐसी रिक्ति को भरने के लिये उप–धारा (1) के

अधीन नियुक्त किया गया हो, अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता :

परन्तु इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति, छः मास से अधिक कालावधि के लिये पद धारण नहीं करेगा।

(8) जहां कुलपति का पद छुट्टी, रूग्णता या अन्य कारण से अस्थायी रूप से रिक्त हो जाता है, वहां कुलाधिपति, यथासंभव शीघ्र, कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(9) जब तक कि उप–धारा (7) के अधीन नामनिर्देशन न किया गया हो या उप–धारा (8) के अधीन व्यवस्था न की गई हो, कुलसचिव और यदि कोई कुलसचिव नियुक्त नहीं किया गया हो, या यदि कुलसचिव का पद किसी भी कारण से रिक्त हो, तो विश्वविद्यालय का ऐसा अधिकारी, जिसे कुलाधिपति निर्देश दे, कुलपति के नित्य प्रति के कर्तव्यों का संपादन करेगा.

(10) उप–धारा (8) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा या उप–धारा (9) के अधीन कुलसचिव द्वारा या कुलपति के नित्य प्रति के कर्तव्यों को संपादन करने के लिये उप–धारा (9) के अधीन कुलाधिपति द्वारा निर्देशित किये गये अधिकारी द्वारा किये गये समस्त कार्यों के संबंध में यह समझा जायेगा कि वे कुलपति द्वारा किये गये कार्य हैं।

कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें.

15. कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, किन्तु उनमें उसकी नियुक्त के पश्चात् ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, जो इसके लिये अलाभकारी हो।

कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.

16. (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा विद्या विषयक (शैक्षिक) अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा। वह बोर्ड का तथा विद्या परिषद् का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष होगा तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकरणों का अध्यक्ष होगा, जिनका कि वह सदस्य हो। वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी भी सम्मिलन में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह संबंधित प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो।

(2) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिये समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी।

(3) कुलपति को बोर्ड तथा विद्या परिषद् के सम्मिलन बुलाने की शक्ति होगी।

(4) किसी भी ऐसी आपात स्थिति में, जिसमें कुलपति की राय में तुरन्त कार्रवाई की जाना अपेक्षित हो, कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट करेगा, जो कि मामूली अनुक्रम के उस मामले के संबंध में कार्रवाई करता और यदि ऐसी अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय, कुलपति की कार्रवाई से सहमत न हो, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

(5) जब उप–धारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती हो, तो ऐसा व्यक्ति, उस तारीख से, जिस पर उसे ऐसी कार्रवाई संसूचित की जाती है, तीस दिन के भीतर, उक्त उप–धारा में वर्णित अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय के माध्यम से बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा।

(6) कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई समझी जायेगी, जब तक कि वह उप–धारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय द्वारा अपास्त न कर दी जाये या उप–धारा (5) के अधीन बोर्ड द्वारा उपान्तरित या अपास्त न कर दी जाये।

(7) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के विनिश्चय को प्रभावशील करेगा।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कि परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विहित की जायें।

कुलपति का हटाया जाना.

17. (1) यदि, किसी भी समय, अभ्यावेदन किये जाने पर या अन्यथा तथा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि –

(एक) कुलपति ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्य का पालन करने में चूक की है; या

(दो) कुलपति ने किसी ऐसी रीति में कार्य किया है जो विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल है; या

(तीन) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंन्ध करने में असमर्थ है,

तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारण कथित किये जायेंगे, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपना पद त्याग दे।

(2) उप–धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तक तक पारित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उन आधारों, जिन पर ऐसी कार्रवाई करना प्रस्तावित है, की विशिष्टियां कुलपति को संसूचित नहीं कर दी जाती और प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर उसे नहीं दे दिया जाता।

(3) उप–धारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से कुलपति के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जायेगा।

कुलसचिव.

18. कुलसचिव पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह बोर्ड के तथा विद्या परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी। और उसकी परिलब्धियों तथा सेवा की शर्तें ऐसी होगी, जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों तथा विनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किये जाएं :

परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलसचिव, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह पांच वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि तक और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जिन्हें कुलाधिपति अवधारित करें, पद धारण करेगा।

लेखा नियंत्रक.

19. (1) लेखा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की

जायेगी और उसकी परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(2) जहां लेखा नियंत्रक का पद छुट्टी, रूग्णता या किसी अन्य कारण से अस्थायी रूप से रिक्त हो जाता है, वहां कुलपति, लेखा नियंत्रक के नित्य प्रति के कर्तव्यों के सम्पादन के लिये ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

(3) लेखा नियंत्रक–

(क) कुलसचिव के सामान्य नियंत्रण के अधीन विश्वविद्यालय की निधियों का पर्यवेक्षण करेगा और कुलपति को विश्वविद्यालय की वित्तीय नीतियों के संबंध में सलाह देगा;

(ख) कुलपति के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के विनिधानों का प्रबन्ध करेगा;

(ग) यह देखने के लिये उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिए व्यय किए जाते है, जिसके लिए वह मंजूर या आबंटित किए गए है और विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया जाता है जो बजट में प्राधिकृत न किया गया हो;

(घ) ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग करेगा, जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाये।

संकायाध्यक्ष (डीन) और निदेशक.

20. (1) अनुसंधान सेवाओं के संकायाध्यक्ष (डीन) और निदेशक, तथा विस्तार सेवाओं के निदेशक होंगे, जो विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे और उनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से उन परिनियमों के अनुसार की जाएगी, जो इस निमित्त बनाए गए हों।

(2) उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों की परिलब्धियॉ तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) संकायाध्यक्ष और निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो कि परिनियमों द्वारा उनको प्रदत्त की जायें या उन पर अधिरोपित किये जायें।

अन्य अधिकारी.

21. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, जो कि धारा 11 में निर्दिष्ट है, की नियुक्ति ऐसी रीति में की जाएगी और उनकी सेवा की शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो कि परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विहित किये जायें:

परन्तु ऐसा पद, जो कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्वीकृत सेटअप में प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है, राज्य शासन द्वारा भरा जायेगा।

समन्वय परिषद्.

22. राज्य के उद्यानिकी विश्वविद्यालयों के कियाकलापों का समन्वय करने के लिए एक परिषद् होगी। परिषद् का गठन राज्य शासन के आदेश द्वारा किया जायेगा और उनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(1) कृषि मंत्री : अध्यक्ष

(2) राज्य के उद्यानिकी विश्वविद्यालयों के कुलपति : सदस्य

(3) संबंधित विश्वविद्यालयों के कुल सचिव : सदस्य

(4) संबंधित विश्वविद्यालयों के निदेशक : सदस्य

(5) संबंधित विश्वविद्यालयों के लेखा नियंत्रक : सदस्य

(6) छत्तीसगढ़ शासन के निम्नलिखित विभाग के सचिव–

(एक) कृषि/उद्यानिकी विभाग,

(दो) पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग,

(तीन) मछली पालन विभाग,

(चार) आयाकट विभाग,

(पांच) वित्त विभाग

(छः) वन विभाग,

(सात) आदिम जाति कल्याण विभाग,

(आठ) सिंचाई विभाग,

(नौ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि, जो महानिदेशक द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा।

परिषद् का सम्मिलन और उसमें गणपूर्ति.

23. (1) परिषद्, एक कैलेण्डर वर्ष में दो बार, ऐसे अन्तरालों पर, जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, सम्मिलन करेगी।

(2) परिषद् के एक–तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(3) परिषद् के सदस्य ऐसी यात्रा और दैनिक भत्ता प्राप्त करेंगे, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।

(4) शासन के सचिव, कृषि/उद्यानिकी विभाग संयोजक होगा।

परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.

24. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी:–

(एक) उद्यानिकी विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना ;

(दो) उद्यानिकी विश्वविद्यालयों की व्यापक नीतियों और कार्यकमों का पुनर्विलोकन करना तथा ऐसे विश्वविद्यालयों के उन्नयन और विकास के लिए उपाय सुझाना ;

(तीन) राज्य में विधि द्वारा स्थापित उद्यानिकी विश्वविद्यालयों के बीच समन्वयकारी निकाय के रूप में कार्य करना ;

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जायें।

अध्याय–चार
विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

25. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण निम्नलिखित होंगे :– विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.

(एक) बोर्ड;
(दो) विद्या परिषद्;
(तीन) संकाय;
(चार) वित्त समिति ; और
(पांच) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जायें।

26. (1) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय की स्थापना होने के दो मास के भीतर बोर्ड का गठन करेगा। बोर्ड का गठन.

(2) बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

पदेन सदस्य

(एक) कुलपति –अध्यक्ष.

(दो) सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,

(क) कृषि/उद्यानिकी विभाग ;
(ख) वित्त विभाग ;
(ग) पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग ;
(घ) डेयरी विकास विभाग ;
(ड़) मछली पालन विभाग.

कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य

(तीन) (क) उद्यानिकी;
(ख) कृषि;
(ग) कृषि अभियांत्रिकी;
में अनुसंधान या शिक्षा का पूर्वानुभव रखने वाले तीन विख्यात वैज्ञानिक;

राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य :

(चार) उद्यानिकी विकास के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाला एक प्रख्यात उद्योगपति या विनिर्माता;

(पांच) ग्रामीण उन्नति का पूर्वानुभव रखने वाली एक विख्यात सामाजिक महिला कार्यकर्ता;

(छः) एक प्रगतिशील कृषक, अधिमान्यतः जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो;

अन्य सदस्य

(सात) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि, जो उस परिषद् के महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) कुलसचिव बोर्ड का सदस्येतर सचिव होगा।

(4) बोर्ड के ऐसे अन्य सदस्य, जो पदेन सदस्यों से भिन्न हों, नामनिर्देशित प्राधिकारी के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे किन्तु उनकी पदावधि तीन वर्ष से अधिक नही होगी। इसके अतिरिक्त, यदि ऐसे सदस्य को उन्मत्त, दिवालिया, फरार घोषित कर दिया जाता है या यदि वह, सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से अन्यथा असमर्थ हो जाता है या यदि वह सदस्यता त्याग देता है तो वह सदस्य नही रहेगा, ऐसी दशा मे विश्वविद्यालय प्राधिकारी द्वारा, यथासंभव शीघ्र, नया नामनिर्देशन किया जायेगा।

(5) बोर्ड के सदस्य ऐसी यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करेंगे, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।

बोर्ड का सम्मिलन.

27. (1) बोर्ड का सम्मिलन उतनी बार, जैसा आवश्यक समझा जाये, ऐसी तारीखों को होगी जैसा कि कुलपति द्वारा नियत की जाये:

परन्तु यथाशक्य, बोर्ड की अन्तिम बैठक तथा आगामी सम्मिलन में उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत की गई तारीख के बीच तीन मास की कालावधि का अन्तर नहीं होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन कुलपति द्वारा नियत किया गया बोर्ड का सम्मिलन कुलपति द्वारा रद्द या मुल्तवी नहीं किया जायेगा, किंतु कुलाधिपति, पर्याप्त हेतुक से, सम्मिलन को किसी ऐसी तारीख तक के लिए मुल्तवी कर सकेगा, जो कि कुलपति द्वारा मूलतः नियत की गई तारीख से पन्द्रह दिन से अधिक पश्चात् की न हो।

(3) कुलपति, बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा की जाने पर, बोर्ड का विशेष सम्मिलन, ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने के दस दिन के भीतर बुलायेगा।

(4) जब उप–धारा (1) या उप–धारा (3) के अधीन कुलपति द्वारा बोर्ड के सम्मिलन के लिए तारीख नियत कर दी गई हो तो कुलसचिव, बोर्ड के सदस्यों को ऐसे सम्मिलन की पूरे सात दिन की सूचना लिखित में देगा।

(5) बोर्ड के प्रत्येक सम्मिलन की गणपूर्ति पांच सदस्यो से होगी।

बोर्ड की शक्तियां और उसके कर्तव्य.

28. बोर्ड, विश्वविद्यालय का कार्यपालक प्राधिकरण होगा और वह, ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि इस अधिनियम तथा परिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन विहित की जाएं, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थातः–

(एक) विश्वविद्यालय का बजट अनुमोदित तथा मंजूर करना;

(दो) कुलपति द्वारा उसके समक्ष रखे गए वार्षिक लेखाओं तथा वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन्हें उपान्तरण के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ पारित करना, जैसा कि वह ठीक समझे ;

(तीन) विश्वविद्यालय की समस्त शाखाओं की वित्तीय आवश्यकाताओं का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष राज्य शासन के समक्ष रखना ;

(चार) अनुसंधान के लिए और ज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रसार के लिए अभिगम की ऐसी शाखाओं तथा अध्ययन पाठ्यक्रमों में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करना जिन्हें वह ठीक समझे ;

(पांच) महाविद्यालयों, विभागों, छात्रावासों तथा अनुसंधान और विशेषज्ञीय अध्ययन संस्थाओं की स्थापना और अनुरक्षण की व्यवस्था करना और उनका प्रबंध करना ;

(छः) ऐसी प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्रों, संग्रहालयों, उद्यानिकी–फार्मो का, जिसके अंतर्गत उसी प्रकार के अन्य फार्म आते है ऐसे अन्य उपस्करों का आयोजन तथा व्यवस्था करना, जिनका कि उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में आयोजन तथा व्यवस्था करना विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;

(सात) उद्यानिकी ग्रामीण जीवन अनुसंधान और विस्तार सेवा चलाना।

(आठ) निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना :–

(क) (एक) बर्हिवर्ती (एक्स्ट्राम्यूरल) अध्यापन तथा अनुसंधान ; और

(दो) विश्वविद्यालय विस्तारी कियाकलाप;

(ख) शारीरिक तथा सैन्य प्रशिक्षण ;

(ग) खेलों तथा व्यायाम सम्बन्धी कियाकलाप; और

(घ) कोई अन्य कियाकलाप, जो राज्य शासन द्वारा निर्देशित किए जायें।

(नौ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश, आचरण और अनुशासन के नियंत्रण के लिए व्यवस्था करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए व्यवस्था करना ;

(दस) उपाधियां, पत्रोपाधियां तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित करना और प्रदान करना ;

(ग्यारह) परिनियमों द्वारा विहित रीति में सम्मानिक उपाधियां तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करने के संबंध में, कुलाधिपति से सिफारिश करना ;

(बारह) अध्येतावृत्तियां (फेलोशिप्स), छात्रवृत्तियां (स्कालरशिप्स), अध्ययन वृत्तियां (स्टूडेण्टशिप्स) छात्र–सहायता–वृत्तियां (एक्जोविशन्स) तथा पदक संस्थित करने, उन्हें बनाये रखने तथा प्रदान करने के लिए व्यवस्था करना ;

(तेरह) परिनियमों द्वारा यथा विहित फीस तथा अन्य प्रभारो की अनुसूची को अनुमोदित करना ;

(चौदह) परिनियम बनाना, उनमें संशोधन करना या उन्हें निरसित करना ;

(पन्द्रह) किसी विनियम को अनुमोदित करना, उसे रद्द करना, उसमें उपान्तरण कराना या उसे समुचित निकाय को वापस निर्देशित करना ;

(सोलह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप अवधारित करना, उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना और उसके उपयोग को विनियमित करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा उनका प्रशासन करना ;

(अठारह) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा परिनियमों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से कोई जंगम या स्थावर संपत्ति अन्तरित करना;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय के पक्ष में किये गये न्यासो, वसीयतों संदानों और जंगम तथा स्थावर संपत्ति के अन्तरणों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिगृहित करना ;

(बीस) इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से संविदायें करना, उनमे संशोधित करना, उन्हें कार्यान्वित करना या रद्द करना;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय का कार्य क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रो, पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(बाईस) इस अधिनियम या परिनयमों द्वरा अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारियों (जो कुलपति से भिन्न हों), अध्यापकों तथा अन्य सेवकों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना और उनके पदों की अस्थाई रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(तेईस) निम्नलिखित को संस्थित करना;

(क) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग;

(ख) सूचना ब्यूरो; और

(ग) नियोजन ब्यूरो ;

(चौबीस) ऐसे अध्यापन पदों को, जिनकी प्रस्थापना विद्या परिषद द्वारा की जाए, अनुमोदित करना ;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय में के किसी अध्यापन पद को, स्वमेव या विद्या परिषद से उसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर, समाप्त करना या निलंबित करना ;

(छब्बीस) कुलपति, कुलसचिव या विश्वविद्यालय के या उसके द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति के ऐसे अन्य अधिकारियों के, जिन्हें वह उचित समझे, वेतनमान तथा सेवा की शर्तें अधिकथित करना ;

(सत्ताईस) अपनी शक्तियों में से कोई भी शक्ति कुलपति, कुलसचिव या विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्ति की गई किसी समिति को, जिसे वह ठीक समझे, विनियम द्वारा प्रत्यायोजित करना ; और

(अट्ठाईस) इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधो से असंगत न होने वाली ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

विद्या परिषद्. **29..** (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय के विद्या संबंधी कार्यकलापों की भारसाधक होगी तथा उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(एक) कुलपति – अध्यक्ष ;

(दो) निदेशक अनुसंधान, विस्तार तथा शिक्षण ;

(तीन) महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय के संकायों के संकायाध्यक्ष ;

(चार) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय मे से एक–एक अध्यापक, जो कि परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में, अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे ;

(पांच) सह उद्यानिकी विश्वविद्यालयों (सिस्टर हॉर्टिकल्चर यूर्निवर्सिटीज) के तीन अधिकारी/अध्यापक, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा मान्य विषयों में अपने विशेष ज्ञान के कारण विद्या परिषद् द्वारा सहयोजित किए गए हो;

(छः) समस्त संकायो के विभागाध्यक्ष;

(2) विद्या परिषद् की तत्समय की सदस्य संख्या को कम से कम आधी संख्या से, गणपूर्ति होगी ;

(3) विद्या परिषद् को किसी ऐसे विशिष्ट कामकाज की, जो परिषद के समक्ष विचारार्थ आये, विषयवस्तु का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप मे सहयोजित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार सहयोजित किये गये सदस्यों के पास ऐसे कामकाज के, जिसके संबंध

में वे सहयोजित किये जाएं, संपादन के बारे में विद्या परिषद के सदस्यों के अधिकार होंगे ;

(4) विद्या परिषद के समस्त सदस्य, जो पदेन सदस्यों से तथा उप–धारा (3) में निर्दिष्ट किये गये सदस्यों से भिन्न हों, परिनियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

30. विद्या परिषद् :– विद्या परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.

(क) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान तथा परीक्षा को सामान्यतः विनियमित करेगी और उन पर नियंत्रण रखेगी और उनका स्तर बनाये रखने एवं उपाधियां अभिप्राप्त करने हेतु अपेक्षाओं की पूर्ति कराने के लिए उत्तरदायी होगी ;

(ख) विश्वविद्यालय के बोर्ड को तथा अन्य प्राधिकरणों को सभी शैक्षणिक विषयों पर सलाह देगी ;

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाए या उस पर अधिरोपित किये जायें।

31. (1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये। संकाय.

(2) प्रत्येक संकाय में ऐसे सदस्य होंगे और उन्हें ऐसी शक्तियां होगी और वे ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।

अध्ययन विभाग. 32. (1) प्रत्येक संकाय में ऐसा अध्ययन विभाग होगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।

(2) प्रत्येक अध्ययन विभाग के लिये एक विभागाध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति प्राध्यापकों में से एक को विभागाध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा और यदि कोई प्राध्यापक न हो तो संकाय का संकायाध्यक्ष ऐसे विभाग के अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कि सम्यक रूप से अर्हित व्यक्ति उपलब्ध नही हो जाता।

(4) विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्ते, उसके कर्तव्य तथा कृत्य, परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

वित्त समिति. 33. (1) वित्त समिति, विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंध के लिये उत्तरदायी होगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(एक) कुलपति – अध्यक्ष

(दो) सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग;

(तीन) सचिव / विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि/उद्यानिकी विभाग

(चार) कृषि संचालक, रायपुर

(पांच) उद्यानिकी संचालक, रायपुर

(2) समिति, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगीः–

(एक) विश्वविद्यालय का बजट अनुमोदित करना;

(दो) लेखा नियंत्रक द्वारा उसके समक्ष रखे गये वार्षिक

लेखाओं तथा वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन्हें उपान्तरण के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ पारित करना, जिन्हें वह उचित समझे।

(तीन) विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्ण विवरण बोर्ड के समक्ष प्रतिवर्ष रखना।

34. ऐसे अन्य प्राधिकरणों, जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण होना घोषित किये जाये, के गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्यों के लिये उपबन्ध परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में किये जायेंगे। **विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण.**

35. (1) विश्वविद्यालय, समस्त संकायो में, मूल तथा अनुप्रायोगिक दोनों ही अनुसंधान के लिये उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्र, क्षेत्रीय तथा अन्य उपकेन्द्र, अपनी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर स्थापित करेगा और या उन्हें बनाये रखेगा। **उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्र तथा कृषक ग्रामीण जीवन तथा विस्तार सेवायें.**

(2) विश्वविद्यालय कृषक ग्रामीण जीवन तथा विस्तार सेवा भी चलायेगा, जो कि इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कृषकों तथा गृहणियों को उनकी सहायता करने उनकी समस्याओं को हल करने के लिये उपयोगी जानकारी उपलब्ध करायेगी और युवा व्यक्तियों में कृषक ग्रामीण जीवन के प्रति रूचि बढ़ाने की दृष्टि से समस्त आवश्यक उपाय करेगी।

अध्याय–पांच

विश्वविद्यालय निधि आदि

36. (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जो कि विश्वविद्यालय निधि कहलायेगी। **विश्वविद्यालय निधि.**

(2) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि के भाग होंगे या उसमें संदत्त किए जायेंगे:–

(क) केन्द्रीय या राज्य शासन या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई उधार, अभिदाय या अनुदान ;

(ख) समस्त स्त्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय, जिसके अन्तर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय आती है ;

(ग) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेण्ट्स) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियां।

(3) विश्वविद्यालय निधि, बोर्ड के विवेकानुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का सं. 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंको में या किन्हीं ऐसे अन्य बैंको मे रखी जायेगी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किये जायें या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का सं. 2) द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में विनिहित की जायेगी।

(4) इस धारा की कोई भी बात, किसी न्यास के प्रबंध के लिये विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किये गये न्यास की किसी भी घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिगृहित की गई या उस पर अधिरोपित की गई किन्हीं भी बाध्यताओं पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नही डालेगी।

उद्देश्य, जिनके लिये विश्वविद्यालय, निधि उपयोजित कर सकेगा.

37. विश्वविद्यालय निधि का उपयोजना, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये किया जायेगा :–

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किये गये ऋणों के प्रतिसंदाय के लिये;

(ख) किसी भी ऐसे वाद या कार्यवाहियों, जिनमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो, के व्ययों के लिये;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा सेवकों को इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिये तथा उन प्रयोजनो को अग्रसर करने के लिये महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय के विभागों मे नियोजित किये गये अध्यापक वृन्द तथा स्थापना के सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिये और किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों, अध्यापकवृन्द के सदस्यों को या ऐसी स्थापनाओं के सदस्यों को पेंशन तथा किसी भविष्य निधि के अभिदायों के संदाय के लिये;

(घ) बोर्ड तथा विद्या परिषद् के सदस्यों और विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण के सदस्यों या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण मे विश्वविद्यालय के प्राधिकारणों में से किसी भी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के यात्रा भत्तो तथा अन्य भत्तो के संदाय के लिये;

(ङ) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययन वृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए ;

(च) महाविद्यालयों, विभागों, निवास स्थानों तथा छात्रावासों के अनुरक्षण के लिये;

(छ) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिये;

(ज) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों और विनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किये गये किसी भी व्यय के संदाय के लिये;

(झ) पूर्ववर्ती खंडो में से किसी भी खंड में विनिर्दिष्ट न किये गये किसी ऐसे अन्य व्यय, जो बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये व्यय घोषित किया गया हो, के संदाय के लिये।

अध्याय–छः

परिनियम तथा विनियम

परिनियम. 38. इस अधिनियम के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए परिनयमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :–

(एक) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य ;

(दो) खंड (एक) में निर्दिष्ट किये गये प्राधिकरणों के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि जिसके अंतर्गत है प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना

या सेवानिवृत्त होना तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय, जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो ;

(तीन) बोर्ड के सदस्यों को देय भत्ते ;

(चार) कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तों और उसकी शक्तियां ;

(पांच) विश्वविद्यालय के लेखा नियंत्रक (कम्पट्रोलर), कुलसचिव, संकायाध्यक्ष, निदेशक तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति उनकी शक्तियों तथा कर्तव्य और परिलब्धियां उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्ते ;

(छह) विश्वविद्यालय के अधिकारियों अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये पेंशन या भविष्य निधि में अभिदाय और बीमा योजना का स्थापन ;

(सात) उपाधियां प्रदान करने के लिये दीक्षान्त समारोह का किया जाना ;

(आठ) सम्मानिक उपाधियों तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं का प्रदान किया जाना ;

(नौ) उपाधियों, पत्रोपाधियों, प्रमाणपत्रों तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं का प्रत्याहरण ;

(दस) संकायों का स्थापन, समामेलन, उप विभाजन तथा उनकी समाप्ति ;

(ग्यारह) संकायो में अध्यापन विभागो का स्थापन तथा उनकी समाप्ति ;

(बारह) विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षित छात्रावासों का स्थापना तथा उनकी समाप्ति ;

(तेरह) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताएं, उनका वर्गीकरण तथा उनकी नियुक्ति की रीति ;

(चौदह) विन्यासों (एण्डाउमेण्ट्स) का प्रशासन, और अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययन वृत्तियों, छात्रसहायता वृत्तियों, (एक्जीबीशन्स), वजीफों (वर्सरीज), पदकों, पारितोषकों तथा अन्य पुरस्कारों का संस्थित किया जाना तथा उनके प्रदान किये जाने की शर्तें ;

(पंद्रह) पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना ;

(सोलह) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा उनका नामांकन और उनका विद्यार्थी के रूप में बना रहना ;

(सत्रह) ऐसी फीस, जो किसी प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित की जाये ;

(अट्ठारह) विश्वविद्यालयों की समस्त उपाधियों, पत्रोपाधियों तथा प्रमाणपत्रों के लिये अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां, पत्रोपाधियां, प्रमाणपत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं, उनके लिये अर्हताएँ, और उनके प्रदान किये जाने तथा अभिप्राप्त किये जाने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही ;

(बीस) अनुसंधान के लिये उपाधियां तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करने के लिये शर्तों का अधिकथित किया जाना ;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखना ;

(बाईस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें तथा छात्रावासों में निवास के लिये फीस का उदग्रहण ;

(तेईस) ऐसे छात्रावासों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनारक्षित न किये जाते हों, मान्यता देना तथा उनका प्रबंन्ध ;

(चौबीस) विशेष व्यवस्था, यदि कोई हो, जो महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किये जा सकते हो, और उनके लिये विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों का विहित किया जाना ;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठापित या चलाए जा रहे महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं का प्रबंध ;

(छब्बीस) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति का गठन;

(सत्ताइस) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हतांए तथा नियुक्ति की शर्तें, जिनके अंतर्गत उनके वेतनमान तथा अन्य उपलब्धियां है ;

(अट्ठाईस) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के कर्तव्य ;

(उन्नतीस) वह तारीख, जिसकी या जिसके पूर्व वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जायेगी ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संविदाओं या करारों के निष्पादन की रीति ; और

(एकत्तीस) ऐसे समस्त अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाना हो या उपबंधित किये जायें।

परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे.

39. (1) धारा 38 में दिये गये विषयों के संबंध में प्रथम परिनियम, राज्य शासन द्वारा बनाये जाएंगे और उसकी एक प्रति चौदह दिन के लिये विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी और वे ऐसे परिवर्धनों तथा परिवर्तनों, जिसके संबंध में विधान सभा सहमत हो, के अध्यधीन होंगे किन्तु किसी ऐसी बात, जो कि उनके अधीन पूर्व में की गई हो, की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) बोर्ड इसमें इसके पश्चात् इस धारा में उपबंधित की गई रीति में समय–समय पर नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा और परिनियमों में संशोधन कर सकेगा या उन्हें निरस्त कर सकेगा।

(3) विद्या परिषद्, बोर्ड द्वारा पारित किये जाने के लिये नवीन परिनियम का या किसी विद्यमान परिनियम में संशोधन का प्रारूप, बोर्ड को प्रस्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रारूप पर बोर्ड द्वारा उसके आगामी सम्मिलन में विचार किया जायेगाः

परन्तु विद्या परिषद्, किन्हीं ऐसे परिनियमों के या किसी परिनियम में किसी ऐसे संशोधन, जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालता हो, के प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को ऐसी प्रस्थापना पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर न दे दिया

गया हो, और इस प्रकार से प्रकट की गई किसी राय पर बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) बोर्ड किसी ऐसे प्रारूप, जो उप–धारा (3) में निर्दिष्ट है, को अनुमोदित कर सकेगा तथा परिनियम पारित कर सकेगा या उसे अस्वीकार कर सकेगा या उसे, किन्ही ऐसे संशोधनों के साथ, जिनका कि बोर्ड सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार के लिये विद्या परिषद को वापस कर सकेगा।

(5) बोर्ड का कोई सदस्य किसी नवीन परिनियम के या विद्यमान परिनियम में संशोधन के प्रारूप की प्रस्थापना बोर्ड को कर सकेगा। बोर्ड उस प्रस्थापना को, यदि वह विद्या परिषद् के कार्य क्षेत्र के भीतर न आने वाले किसी विषय से संबंधित हो, या तो स्वीकार कर सकेगा या अस्वीकार कर सकेगा, किन्तु उस दशा में जब कि ऐसा प्रारूप विद्या परिषद् के कार्यक्षेत्र के अंदर आने वाले विषय से संबंधित हो, उस मामले में समुचित विनिश्चय करने के पूर्व, बोर्ड द्वारा उस पर विद्या परिषद की राय अभिप्राप्त की जायेगी तथा उस पर विचार किया जायेगा।

(6) नवीन परिनियम या परिनियमों में परिर्वतन या परिनियम में किसी संशोधन या उसके निरसन के लिए कुलाधिपति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसे मंजूर कर सकेगा, या नामंजूर कर सकेगा या उसे और आगे विचार किये जाने के लिए भेज सकेगा।

40. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण तथा अन्य निकाय– विनियम.

(क) सम्मिलनों में गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या तथा अनुपालन की जाने वाली प्रकिया अधिकथित करने लिये;

(ख) ऐसे समस्त विषयों, जो इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार विनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हो, का उपबंध करने के लिये; और

(ग) ऐसे किन्हीं भी अन्य विषयों, जो अनन्य रूप से ऐसे प्राधिकरणों तथा निकायों से संबंधित हो, और जिनके लिए इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उपबंध न किया गया हो, का उपबंध करने के लिए,

इस अधिनियम तथा परिनियमों के संगत विनियम बना सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे विनियम बनायेगा जिनमें ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को सम्मिलन की तारीखों की तथा उस कामकाज, जिस पर उन सम्मिलनों में विचार किया जाना हो, का सूचना दिये जाने एवं सम्मिलनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखे जाने के लिए उपबंध होगा।

(3) बोर्ड ऐसी रीति में, जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करें, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किन्हीं भी विनियमों को संशोधित करने के लिये या उप–धारा (1) के अधीन बनाये गये किन्हीं भी विनियमों के विलोपन के लिए निर्देश दे सकेगा।

(4) विद्या परिषद, परिनियमों के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं तथा उपाधियों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रमों का उपबंध करते हुए विनियम, संबंधित संकाय से उनके प्रारूपों के प्राप्त होने के पश्चात्, बना सकेगी।

(5) विद्या परिषद संकाय से प्राप्त किसी प्रारूप को या तो अनुमोदित कर सकेगी या नामंजूर कर सकेगी या उसमें परिवर्तन कर सकेगी या उसे अपने सुझावों के साथ और आगे विचार किये जाने के लिए संकाय को भेज सकेगी।

अध्याय–सात
वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा आदि

वार्षिक रिपोर्ट.

41. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कुलपति के निर्देश के अधीन तैयार की जाएगी और बोर्ड को उसके विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ भेजी जायेगी। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऐसी वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति तथा राज्य शासन को भेजी जायेगी और राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेगी।

लेखे तथा संपरीक्षा.

42. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे कुलपति के निर्देश के अधीन लेखा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जायेगा और किसी भी स्त्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाले या उसे प्राप्त समस्त धन तथा संवितरित की गई या संदत्त की गई समस्त राशि, लेखा में प्रविष्ट की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखे बोर्ड को भेजे जाएंगे। बोर्ड अपने सम्मिलन में उन पर विचार करेगा तथा एक संकल्प पारित करेगा और उसे राज्य शासन को संसूचित करेगा जो उसकी संपरीक्षा, ऐसे व्यक्ति द्वारा कराएगी, जैसा कि वह निर्देश दे।

(3) लेखे, जब उनकी संपरीक्षा हो जाए, मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों के साथ, कुलपति द्वारा बोर्ड को भेजी जायेंगी, जो उन्हें ऐसी टीका टिप्पणियों के साथ, जो कि आवश्यक समझी जायं, राज्य शासन को अग्रेषित करेगा, संपरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की टीका टिप्पणियों सहित, राज्य विद्यान मंडल के समक्ष रखी जायेगी।

अध्याय–आठ
अनुपूरक उपबंध

विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद.

43. इस अधिनियम या किसी परिनियम या विनियम के किन्ही उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक्रूपेण निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत हो जाये, तो मामला, कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु कुलाधिपति, कोई ऐसा विनिश्चय करने के पूर्व उसमें प्रभावित होने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में, अभिव्यक्ति "निकाय" के अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित की गई कोई समिति है।

समितियों का गठन.

44. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई हो, वहां ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संबंधित प्राधिकरण के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

45. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेगी, जिसने उस सदस्य को जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया हो, और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, निर्वाचित या

सहयोजित किया गया व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का उस अवधि के शेषकाल के लिये सदस्य रहेगा, जिसके लिये वह व्यक्ति, जिसके स्थान की उसने पूर्ति की हो, सदस्य रहा होता।

रिक्ति आदि के कारण कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी.

46. विश्वविद्यालय या उसके किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई भी कार्य, केवल इस कारण से अविधि मान्य नहीं होगा कि:–

(क) उसमें कोई रिक्ति है, या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रकिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव न डालती हो।

सेवा की शर्तें.

47. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक, लिखित संविदा, जो कुलपति की अभिरक्षा में रखी जायेगी, के अधीन नियुक्त किया जायेगा, और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जायेगी।

(2) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी या अध्यापक को विश्वविद्यालय में या उसके बाहर किसी भी कार्य के लिए पारिश्रमिक, परिनियमों में उपबंधित के सिवाय, न तो दिया जायेगा और न ही वह उसे प्रतिगृहीत करेगा।

(3) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों या अध्यापकों में से किसी अधिकारी या अध्यापक के बीच हुई संविदा से उद्‌भूत होने वाले कोई विवाद संबंधित अधिकारियों या अध्यापकों की प्रार्थना पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर कुलाधिपति द्वारा माध्यमस्थम् के लिये एक अधिकरण को, जिसमें बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया एक सदस्य, संबधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक सदस्य, तथा कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया गया

अधिनिर्णायक होगा, निर्दिष्ट किया जायेगा और अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित किये गये मामलों के संबंध में किसी भी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन की गई प्रत्येक प्रार्थना को इस धारा के अनुसार माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 (1996 का सं. 26) के अर्थ के अंतर्गत मध्यस्थता के लिये प्रार्थना समझा जायेगा और उस अधिनियम के समस्त उपबंध, इसकी धारा 3 को छोड़कर, तद्नुसार लागू होंगे।

पेंशन तथा भविष्य निधि.

48. (1) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकीय कर्मचारी वृन्द तथा कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित की जाये, ऐसी पेन्शन, बीमा तथा भविष्य निधि का गठन करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(2) जहां कोई ऐसी भविष्य निधि इस प्रकार गठित की गई हो वहां कुलाधिपति यह घोषित कर सकेगा कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का सं. 16) के उपबंध, ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे, मानों कि वह शासकीय भविष्य निधि हो।

कार्य तथा आदेशों का संरक्षण.

49. विश्वविद्यालय द्वारा सद्भावपूर्वक किये गये समस्त कार्य तथा पारित किये गये समस्त आदेश अंतिम होगे और इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के अनुसरण में की गई या कारित किसी भी बात के लिये कोई दावा या नुकसान दावा संस्थित नहीं किया जायेगा।

प्रथम कुलपति की असाधारण शक्तियां.

50. (1) प्रथम कुलपति को, उसकी नियुक्ति की तारीख से अट्ठारह मास की कालावधि तक के लिए या ऐसी अल्पतर कालावधि तक के लिए, जो कि कुलाधिपति द्वारा

अवधारित की जाए, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :–

(क) किसी ऐसे विषय के लिये, जिसके लिये प्रथम परिनियमों द्वारा उपबंध न किया गया हो, उपबंध करने हेतु कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, अतिरिक्त परिनियम बनाना ;

(ख) कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से अस्थायी प्राधिकरणों तथा निकायों का गठन करना और उनकी सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए उपबंध करने वाले नियम बनाना;

(ग) कुलाधिपति के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी वित्तीय व्यवस्थाएं करना तथा ऐसा व्यय करना, जो इस अधिनियम या इसके किसी भाग को प्रवर्तित किये जा सकने के लिए आवश्यक हो;

(घ) कुलाधिपति की मंजूरी से, ऐसी नियुक्तियां करना जो इस अधिनियम या इसके किसी भाग को प्रवर्तित किये जा सकने के लिए आवश्यक हो;

(ङ) कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से, अपने ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए, जिसके संबंध में वह निर्देश दे, ऐसी समितियां नियुक्त करना, जिन्हें कि वह उपयुक्त समझे;

(च) साधारणतया, समस्त या किन्हीं भी ऐसी शक्तियों को प्रयोग करना, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त की गई है।

(2) उप–धारा (1) के मद (ख), (घ) तथा (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कुलपति द्वारा पारित किया गया कोई भी आदेश, उप–धारा (1) के अधीन

विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के अवसान होने के पश्चात् उस समय तक प्रभावी बने रहेंगे, जब तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनके संबंध में कार्यवाही करने के लिए समक्ष प्राधिकरण या निकाय द्वारा उपान्तरित या अपास्त न कर दिये जायें।

बोर्ड द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति.

51. बोर्ड द्वारा किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के वैतनिक अध्यापक के रूप में परिनियमों के उपबंधो के अनुसार इस प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति की सिफारिशों पर ही नियुक्त किया जायेगा, अन्यथा नहीं। तथापि, कार्य की प्रकृति को देखते हुए किसी भी मामले में छः मास से अनधिक कालावधि के लिए तदर्थ नियुक्ति की जा सकेगी।

अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतनमान.

52. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन का संदाय उन वेतनमानों के अनुसार किया जायेगा, जो राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से परिनियमों द्वारा नियत किये गये हों।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के सदस्य की पदावधि.

53. (1) जब कभी कोई व्यक्ति अपने द्वारा धारित पद के आधार पर किसी प्राधिकरण का सदस्य बन जाता है, तो वह उस दशा में जबकि वह अपनी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाए, तत्काल ऐसे प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगाः

परन्तु केवल इस कारण से कि वह चार माह से अनधिक की कालावधि के किए छुटटी पर चला जाता है, उसके संबंध में यह नहीं समझा जावेगा कि वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो गया है,

(2) जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य निकाय के चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या न हो, प्रतिनिधि के रूप में किसी प्राधिकरण का सदस्य बन जाता है, तो वह उस दशा में जबकि वह अपनी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व उस निकाय का, जिसके द्वारा वह नामनिर्देशित, नियुक्त या निर्वाचित किया गया था, सदस्य न रहे, ऐसे प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा।

विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र.

54. (1) बोर्ड, विद्या परिषद या विशविद्यालय किसी अन्य के प्राधिकरण के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग सकेगा और त्यागपत्र, कुलसचिव को प्राप्त होते ही प्रभावशील हो जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी, चाहे वह वैतनिक हो या अन्यथा, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो रिक्ति को भरने के लिए सक्षम हो, प्रतिगृहीत कर लिया जाता है या कुलसचिव को त्यागपत्र प्राप्त होने की तारीख से तीन मास का अवसान हो जाने पर स्वतः, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, प्रभावशील हो जायेगा।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या बोर्ड की सदस्यता से हटाया जाना.

55. कुलाधिपति, बोर्ड के निवेदन पर, किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण की, जिसके अंतर्गत बोर्ड भी है, सदस्यता से इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है :

परन्तु किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध, हटाये जाने का कोई आदेश उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और भी कि इस धारा में दी गई कोई भी बात उस दशा में लागू नहीं होगी, जबकि व्यक्ति राज्य विधान सभा का सदस्य होने के नाते सदस्य हो,

कठिनाईयों का निराकरण.

56. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत हो, तो राज्य शासन, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाई का निराकरण करने के लिये आवश्यक प्रतीत होते हों।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात्, नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

संपत्ति तथा कर्मचारियों का अंतरण.

57. (1) ऐसी तारीख से, जिसे राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के समस्त संघटक एवं संबद्ध महाविद्यालय, जो धारा 6 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर स्थित है और जो स्नातक उपाधि या उससे ऊपर की उपाधि के लिये उद्यानिकी में या किन्हीं अन्य संबद्ध विषयों में शिक्षण दे रहे हों, और उन क्षेत्रों में स्थित समस्त अनुसंधान केन्द्र, जो उद्यानिकी, वानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान कार्य

करने के लिये चलाए जा रहे हों और साथ ही ऐसे महाविद्यालयों तथा केन्द्रों की भूमियां, छात्रावास तथा अन्य भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय की पुस्तकें, प्रयोगशालाएं, भण्डारगृह, उपकरण, साधित्र, साधन तथा उपस्कर और पशुधन एवं उनके लिये बनाया गया बजट कार्यक्रम विश्वविद्यालय को अन्तरित कर दिए जायेंगे और वे उसमें निहित हो जायेंगे।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किसी महाविद्यालय या अनुसंधान केन्द्र के अन्तरित हो जाने की तारीख से ही निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात :–

(क) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वे कर्मचारी:–

(एक) जो इस अधिनियम की धारा 57 (1) में वर्णित महाविद्यालयों या अनुसंधान केन्द्रों में उक्त तारीख को कार्य कर रहे थे या उनसे संलग्न थे; या

(दो) जो उस दशा में, जबकि किसी कारण से ऐसे महाविद्यालयों या अनुसंधान केन्द्रों से उनकी अस्थायी अनुपस्थिति न हुई होती, उक्त तारीख को ऐसे महाविद्यालयों में या अनुसंधान केन्द्रों में कार्य कर रहे होते या उनसे संलग्न रहते; या

(तीन) जो छः मास की कालावधि के भीतर अन्य विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किए जाने का विकल्प लेते है और जिन्हें बोर्ड द्वारा उसके लिये अनुज्ञात कर दिया जाता है;

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कर्मचारी हो जाएंगे और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के अधीन सेवाओं को शासित करने वाले निबंधनों तथा शर्तों द्वारा शासित होंगेः

परन्तु ऐसे कर्मचारियों को, विद्यालय की सेवा में उनके संविलयन के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्थापित निबन्धन तथा शर्ते, उन निबंधनों तथा शर्तों से कम अनुकूल नहीं होगी, जो ऐसे कर्मचारियों को उक्त तारीख के पूर्व लागू थी;

(ख) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यथास्थिति, महाविद्यालय या अनुसंधान केन्द्र के संबंध में अर्जित किए गए हों, उसे प्रोद्भूत हुए हों या उसके द्वारा उपगत किये गये हों, के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व है।

(ग) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, यथास्थिति, महाविद्यालय या अनुसंधान केन्द्र के संबंध में की गई किसी संविदा के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा की गई संविदा है।

(3) इस धारा में दी गई किसी भी बात को यह नहीं समझा जायेगा कि वह उप–धारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय को

अन्तरित किए गए किसी महाविद्यालय या अनुसंधान केन्द्र की किसी भूमि या भवन को, राज्य शासन की पूर्व सहमति के बिना, बेचने, पट्टे पर देने उसका विनिमय करने या अन्यथा व्ययन करने के लिये विश्वविद्यालय को प्राधिकृत करती है।

व्यावृत्ति.

58. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर एवं उसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 20) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) उन महाविद्यालयों एवं संस्थानों पर, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, लागू होना समाप्त हो जायेगा।

(2) यह समाप्ति निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी–

(क) उक्त अधिनियमिति के पूर्ववर्ती प्रवर्तन ;

(ख) उक्त अधिनियमिति के विरूद्ध किये गये किसी अपराध के संदर्भ में दिये गये कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(ग) ऐसे शास्ति, समपहरण, या दण्ड के संबंध में, कोई जॉच, विधिक कार्यवाही या उपचार तथा कोई ऐसी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा अथवा लागू किया जा सकेगा तथा कोई ऐसी शास्ति, समहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, जैसा कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ हो।

(3) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निर्मित एवं नियत दिनांक पर प्रभावशील सभी परिनियम एवं विनियम, जहां तक इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो तब तक प्रभावशील रहेंगे, जब तक कि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित परिनियमों एवं विनियमों के द्वारा निरसित न कर ली गई हो।

उद्देश्य और कारणों का कथन

यतः, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 राज्य में उद्यानिकी एवं वानिकी के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये तथा विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया जा रहा है;

और यतः, प्रस्तावित विश्वविद्यालय, विद्यार्थियों के साथ साथ राज्य के लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजन का अवसर उपलब्ध करायेगा। इस तरह, विश्वविद्यालय दक्ष मानवीय स्त्रोतों के सृजन के लिये सहायक होगा;

अतएव, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए एवं छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, राज्य शासन ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 को लागू करने का विनिश्चय किया है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रविन्द्र चौबे
कृषि मंत्री,
भारसाधक सदस्य

रायपुर,
दिनांक 27 नवम्बर 2019

वित्तीय ज्ञापन

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 राज्य में उद्यानिकी एवं वानिकी के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रायोजन के लिए तथा विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया जा रहा है। प्रस्तावित अधिनियम के खण्ड 36 में व्यय अंतर्ग्रस्त है। उक्त प्रावधान की पूर्ति में आने वाला वित्तीय भार लगभग राशि रू. 200.00 करोड़ (अक्षरी रू. दो सौ करोड़ मात्र) का आंकलन अनुमानित है।

"संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 के खण्ड–38 में परिनियम बनाये जाने का प्रावधान है तथा खण्ड–39 के उपखंड (1) के अनुसार खण्ड–38 में दिये गये विषयों के संबंध में प्रथम परिनियम को राज्य शासन द्वारा बनाये जाने व उस परिनियम को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का भी प्रावधान है, जो सामान्य स्वरूप का है

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़, विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.